उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या:-75/2019/1728/छप्पन-2019-11/2011
लखनऊ, दिनांक : 02 सितम्बर, 2019

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

कार्यालय ज्ञाप संख्या:- 62/2018/1213/छप्पन-18-11/2011 दिनांक 18.06.2018 द्वारा श्री राजेश कुमार की नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई उत्तर प्रदेश, लखनऊ में हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियंता के पद पर संविदा अवधि नियत मासिक पारिश्रमिक रूपए 2,02,585/- (रूपए दो लाख दो हजार पॉच सौ पचासी मात्र) एवं अनुमन्य वार्षिक वेतन वृद्धि पर दिनांक 20 सितम्बर, 2018 से अग्रेत्तर 01 वर्ष (अर्थात दिनांक 20 सितम्बर, 2018 से 19 सितम्बर, 2019 तक) के लिए बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जो दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को समाप्त हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा पत्र दिनांक 27 मई, 2019 के माध्यम से इनकी संविदा अवधि वर्तमान पारिश्रमिक रूपए 2,12,714/- पर एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2011-17/2014, दिनांक 09 सितंबर, 2014 के अनुसार अनुमन्य 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि यथासमय करते हुए दिनांक 20 सितम्बर, 2019 से अग्रेतर 05 वर्ष अर्थात दिनांक 19 सितम्बर, 2024 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव शासन के निर्णयार्थ उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई उत्तर प्रदेश, लखनऊ में हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियंता के पद पर श्री राजेश कुमार की संविदा अवधि वर्तमान पारिश्रमिक रूपए 2,12,714/- एवं शासनादेश संख्या- 1422/छप्पन-2011-17/2014, दिनांक 09 सितंबर, 2014 के अनुसार 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि यथासमय करते हुए अग्रेतर 05 वर्ष (अर्थात दिनांक 20 सितम्बर, 2019 से दिनांक 19 सितम्बर, 2024 तक) के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- श्री राजेश कुमार की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी।

4- श्री राजेश कुमार की संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर उसे शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

श्री राजेश कुमार,
हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियंता,(संविदा सेवा)
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या :- 75/2019/1728(1)/ छप्पन-19- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री राजेश कुमार से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- कार्मिक अनुभाग-1
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।